

**FORM-21 C**

(See Rule 64)

*(For use in general election when seat is contested)*

Declaration of the result of Election under section 66 of the  
Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of **RAJASTHAN** State from  
**98- Kishangarh** Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the  
Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the  
Conduct of Election Rules, 1961, I declare that –


**SHRI SURESH TAK**

**1/25, HOUSING BOARD, KISHANGARH**

Sponsored by **INDEPENDENT** (Name of the recognized/ registered  
political party) has been duly elected to fill the seat in that House  
from the above constituency.

Place – AJMER

Date—11-12-2018



**(Mahesh Chandra Maan)**

Returning Officer

Kishangarh Assembly Constituency

(Sub Divisional Officer &

Sub Divisional Magistrate Kishangarh, Ajmer)

( महेश चन्द्र मान )

रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र किशंगरह ( ९८ )

( अजमेर ) ( जिला ) ( राजस्थान )

प्ररूप- 21ग  
(नियम 64 देखिये)  
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन  
निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

98- किशनगढ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के  
लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व  
अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता  
हूँ कि :-


नाम - श्री सुरेश टाक

पता - 1/25, हाउसिंग बोर्ड, किशनगढ जो (मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत पार्टी का नाम)  
निर्दलीय द्वारा खडे किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक रूप से निर्वाचित हो  
गए।

स्थान :- अजमेर

तारीख :- 11.12.2018



(महेश चन्द्र मान)  
रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा क्षेत्र 98 किशनगढ  
उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ

( महेश चन्द्र मान )  
रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र किशनगढ ( 98 )  
( उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ )